राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 1616/2024

सरोज कुमारी **—अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग—2, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुहाना, जिला झुंझुनू।
5. श्रीमती कृष्णा देवी, एएनएम, उप केन्द्र, नानवास, खण्ड जिला झुंझुनू।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.04.2024

आदेश की दिनांक : 16.04.2024

<u>उपस्थित —</u>

अपीलार्थी की ओर से **:** श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 01.04.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को माह अप्रेल, 2024 से आगामी वेतन उप स्वास्थ्य केन्द्र, नानवास बुहाना, झुंझुनू से ही आहरित करते हुये भुगतान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :—

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में एएनएम के पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र, नानवास, बुहाना, झुंझुनूं में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा बिना अधिशेष

मानते हुये दुर्गापुरा बाडमेर स्थानान्तरण किया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 4730/2022 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा दिनांक 15.09.2022 को स्थगन आदेश जारी किया गया। तब से अपीलार्थी उक्त पद पर कार्यरत है। परंतु अपीलार्थी को वेतन नहीं दिया जा रहा था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अपील संख्या 1601/2023 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा दिनांक 26.06.2023 को अपीलार्थी का वेतन नानवास बुहाना, झुंझुनूं में कार्यरत स्थान से ही वेतन दिये जाने का आदेश पारित किया, परंतु विभाग द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 1222/2024 के क्रम में अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 14.03.2024 जारी किया गया, जिसमें अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग को वेतन आहरण के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया लेकिन प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.04.2024 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का माह फरवरी, 2024 से आगामी आदेशों तक वेतन मूल पदस्थापन स्थान से आहरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई, जो नियम विरूद्ध है। जबकि अपीलार्थी उक्त स्थान पर पदस्थापित है और वेतन आहरण का भी अधिकरण द्वारा आदेश जारी किया गया है, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन भुगतान उक्त स्थान से नहीं दिया गया, जो अधिकरण के आदेशों की अवमानना की श्रेणी में आता है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 01.04.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को माह अप्रेल, 2024 से आगामी वेतन उप स्वास्थ्य केन्द्र, नानवास बुहाना, झुंझुनू से ही आहरित करते हुये भुगतान किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन एएनएम के पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र, नानवास, बुहाना, झुंझुनूं में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को उक्त पदस्थापन स्थान से वेतन भुगतान नहीं किये जाने का प्रश्न है, अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 4730/2022 के क्रम में अधिकरण द्वारा दिनांक 15.09.2022 को स्थगन आदेश जारी किया गया। तब से अपीलार्थी उक्त पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन नहीं दिये जाने के संबंध में अपीलार्थी द्वारा अपील संख्या

1601/2023 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा दिनांक 26.06.2023 को अपीलार्थी का वेतन नानवास बुहाना, झुंझुनूं में कार्यरत स्थान से ही वेतन दिये जाने का आदेश पारित किया, परंतु विभाग द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 1222/2024 के क्रम में अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 14.03.2024 जारी किया गया, जिसमें अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, जबकि प्रत्यर्थी विभाग को वेतन आहरण के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया लेकिन प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.04.2024 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का माह फरवरी, 2024 से आगामी आदेशों तक वेतन मूल पदस्थापन स्थान से आहरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। जबकि अपीलार्थी उक्त स्थान पर अधिकरण द्वारा उक्त पारित स्थगन आदेश की पालना में पदस्थापित है और वेतन आहरण का भी अधिकरण द्वारा आदेश जारी किया गया है, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन भुगतान उक्त स्थान से नहीं दिया गया। अधिकरण द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1222/2024 में पारित आदेश दिनांक 14.03.2024 जिसमें प्रार्थी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेश किया गया और प्रत्यर्थी विभाग को यह भी स्पष्ट किया गया कि निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिया जा रहा है, वरन् मात्र इस आशय से दिया जा रहा है कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे और इस प्रकार उक्त अभ्यावेदन के क्रम में विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश दिनांक 01.04.2024 विधि एवं नियमों के विपरीत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अधिकरण द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 15.09.2022 एवं 26.06.2023 को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी का वेतन आहरण उप स्वास्थ्य केन्द्र, नानवास बुहाना, झुंझुनूं से ही भुगतान किया जावे। चूंकि अपीलार्थी वर्तमान में उक्त पद पर अधिकरण द्वारा जारी उक्त आदेशों के क्रम में कार्यरत है। इसलिये अपीलार्थी का वेतन आहरण भी उक्त पदस्थापन स्थान से ही नियमानुसार किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य